



राजस्थान सरकार

वित्त विभाग

(सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम अनुभाग)

क्रमांक: एफ.2(4)वित्त/ लोनिविलेनि/99 पार्ट-॥

जयपुर, दिनांक 22.05-2017

परिपत्र

विषय : बाधा रजिस्टर (Hindrance Register) RPWA-115 का प्रारूप निर्धारण एवं तत्संबंधी निर्देश।

वित्तीय वर्ष 2016-17 की बजट घोषणा संख्या 239 की अनुपालना में दिनांक 08.03.2017 को लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम भाग-॥ के परिशिष्ट-XIII (SCHEDULE OF POWERS DELEGATED TO THE OFFICERS IN THE PUBLIC WORKS DEPARTMENTS (BUILDING & ROADS), WATER RESOURCES DEPARTMENT, PUBLIC HEALTH ENGINEERING DEPARTMENT, RWSSMB, IGNP, GWD and CAD etc.) को प्रतिस्थापित किया गया है।

इस परिशिष्ट-XIII के आइटम संख्या 23 (To grant, for recorded reasons, extension of time for the execution of works or supply of materials or other performances of the contract) का नोट-3 निम्न प्रकार से है :

"Note 3: Hindrance Register shall be maintained by Engineer incharge and reasons for delay (on account of department/ contractor) shall be specifically recorded eventwise with full details. Every extension case must accompany copy of Hindrance Register and the record of corrective measures taken by Engineer incharge."

उपर्युक्त प्रावधान की अनुपालना हेतु बाधा रजिस्टर (Hindrance Register) का प्रारूप (RPWA-115) निर्धारित किया जाता है जो इस परिपत्र के साथ पालनार्थ संलग्न है।

लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम पार्ट-॥ के परिशिष्ट-XI की General Conditions of Contract की शर्त संख्या 5 के अनुसार बाधा (hindrance) उत्पन्न होने के उपरांत संवेदक द्वारा इस बाबत प्रभारी अभियंता को लिखित में सूचित करना अपेक्षित है। इस बाधा का पूर्ण अभिलेख बाधा रजिस्टर (RPWA-115) में रखा जायेगा।


ठेकेदार से बाधा उत्पन्न होने की सूचना प्राप्त होते ही संबंधित अभियंता उस बाधा को दूर करने के सभी संभव प्रयास करेगा तथा इस हेतु किये गये प्रत्येक प्रयास का पूर्ण अंकन बाधा रजिस्टर में करेगा तथा तत्संबंधी पूर्ण अभिलेख संधारित करेगा।

किसी कार्य के निरीक्षणकर्ता अधिकारी (यथा CE/ACE/SE आदि) का उत्तरदायित्व होगा कि वह स्थल-निरीक्षण (site inspection) के दौरान कार्य के बाधा-रजिस्टर का भी अवलोकन कर उसमें टिप्पणी/हस्ताक्षर अंकित करेंगे।

संबंधित प्रभारी अभियंता द्वारा बाधा रजिस्टर (Hindrance Register) का मासिक-सार (Monthly extract) अपने से उच्चतर प्राधिकारी (next higher authority) को प्रतिमाह भेजा जाएगा। इस प्रकार से भेजे गए प्रतिवेदनों की संबंधित उच्चतर प्राधिकारियों द्वारा अनिवार्य रूप से त्रैमासिक समीक्षा की जाएगी।

अंतिम समय-विस्तार स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी (Final time extension sanctioning authority) समय-विस्तार स्वीकृति के प्रत्येक प्रकरण में इस बाधा रजिस्टर तथा उससे संबंधित सुसंगत अभिलेखों की जांच करने तथा व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट होने के उपरांत ही नियमानुसार अंतिम समय-विस्तार (Final extension of time) की स्वीकृति प्रदान करेगा।

ये आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।


(मजु राजपाल)

संलग्न: बाधा रजिस्टर प्रारूप (RPWA-115) /

शासन सचिव वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों को सूचित करने हेतु प्रेषित है :

1. The Principal Accountant General (G&SSA/A&E) Rajasthan, Jaipur.
2. The ACS/ Principal Secretary/Secretary, PWD/PHED/IGNP/CAD/Forest/GWD/Water Resources Department.
3. The Principal Secretary to Hon'ble C.M. Rajasthan, Jaipur.
4. All Addl. C.S./Pr. Secretaries/ Secretaries, Rajasthan, Jaipur.
5. The Sr. Dy. Secretary to Chief Secretary, Rajasthan, Jaipur.
6. Director, Treasury & Accounts/Inspection/Local Fund Audit Department, Vitta Bhawan, Jaipur.
7. All Chief Engineers, PWD/Water Resources/PHED/RWSSMB/GWD/IGNP/CAD, Jaipur/Bikaner/Kota..
8. All Financial Advisors/Chief Accounts Officers, RWSSMB/ PWD/WRD/PHED/GWD/IGNP/ CAD, Jaipur/Bikaner/Kota.
9. All Treasury/Sub-Treasury Officers.
10. All Sections of the Finance Department.
11. Admn.Reforms Department.
- ✓ Addl. Director, Finance Department with a request to publish this circular on Website of FD.
12. Guard File.


(रामावतार शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव

(PWF&AR -63/2017)

Government of Rajasthan
.....Department

HINDRANCE REGISTER

(Refer Note 3 of Item No.23 of Appendix -XIII of PWF&AR Part-II)

- Name of Work:
- Agreement No. & Date:
- Name of Contractor/Firm :
- Contract amount :
- Date of commencement :
- Stipulated date of completion :

S. No.	Details of Hindrance	Date of occurrence of Hindrance	Communication date in writing from contracting firm w.r.t. Hindrance	Date of overcome of Hindrance	Details of corrective measures taken by Engineer(s)*
1	2	3	4	5	6

Total days of Hindrance (7=5-3)	Days attributable to contractor (with reasons)	Days not attributable to contractor (with reasons)	Signature of Engineer		
			JEn.	AEn.	Ex.En.
7	8	9	10		

*It should mention specifics like letters written or meetings done to sort out Hindrances.

22/5/2012
(समानाधिकार शर्तों)
संयुक्त राजस्थान सरकार